संख्या:5/2025/28/35-3-2025-1(32)/2016

प्रेषक,

जे0एल0 यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय:गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनु0 परिषद, नई दिल्ली द्वारा वेतन मद (ओएच 36) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश रू0 1,10,42,000/- की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-183/ले0-91/2004(2), दिनांक 11-03-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-40, लेखाशीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद के अन्तर्गत कुल रूपये 2,07,52,000/- (रू० दो करोड़ सात लाख बावन हजार मात्र) की बजटीय व्यवस्था स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-2/2025/17/35-3-2025-1(32)/2016 दिनांक 05.02.2025 द्वारा गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष देय समतुल्य राज्यांश रू0 49,36,000/- (रू० उनचास लाख छत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के पक्ष में जारी की जा चुकी है। इस प्रकार रू0 1,58,16,000/-(रू0 2,07,52,000-49,36,000=1,58,16,000) की बजटीय व्यवस्था वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अवशेष है।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत वेतन मद (ओएच 36) के अन्तर्गत केंद्राश रु0 1,10,42,000/- के समतुल्य उपलब्ध बजट व्यवस्था में से अवशेष राज्यांश रु. 1,10,42,000/- (रू0 एक करोड दस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
II. अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
III. कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो,कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन/ परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में संस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
IV. उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
V. इस अनुदान पर राजाज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67, दिनांक 20 जुलाई,1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगें।
VI. उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगें तथा उनका निरीक्षण,महालेखाकार,उत्त्र प्रदेश,इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगें, किया जायेगा।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

VII. संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा

VIII. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अधीन लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें - 800 - अन्य व्यय - 05 - गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान -31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-25 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS से प्राप्त अशासकीय संख्या- E-5-332-X-2024-25-दिनांक: 28-3-2025 के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जे0एल0 यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या- 5/2025/28/35-3-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
8- सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, पोस्ट बाक्स नं0- 10580, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
9- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11- नियोजन अनुभाग-1
12- गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,
जे0एल0 यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।